FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प बाला

वादी | **बनाम** | **प्रतिवादी**

राजेन्द्र कुमार | | भंवरलाल

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–113/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23.10.2021	प्रार्थी राजेन्द्र कुमार पुत्र गजराज जाति महाजन निवासी बाला तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प बाला में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1226 रकबा 0.7443 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1282 रकबा 1.2054 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1283 रकबा 0.3236 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 779 रकबा 3.2522 हैक्टैयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 5.5255 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी की आयी हुयी है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि वादी के पिता गजराज पुत्र चम्पालाल की थी। गजराज का देहान्त सन् 2000 में हो गया, उनके देहान्त का फौतेदगी नामांन्तकरण 1254 स्वीकृत किया गया उसमें प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार के बजाय राजमल लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम राजेन्द्र कुमार है तथा सरकारी दस्तावेज भी राजेन्द्र कुमार के नाम से जारी किये हुए है अन्त में निवेदन किया कि संयुक्त खातेदारी भूमि में राजमल पुत्र गजराज के स्थान पर राजेन्द्र कुमार पुत्र गजराज की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी राजेन्द्र कुमार ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। तथा प्रतिवादी भंवरलाल के बयान कलमबद्ध कराये गये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी राजेन्द्र कुमार के आधारकार्ड, पहचान पत्र, पेनकार्ड, राशनकार्ड, जनआधार कार्ड आदि पेश किये है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत बाला द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र को पेश किया है। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में राजमल गलत लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम राजेन्द्र कुमार के बजाय राजमल दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम बाला तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नम्बर 1226 रकबा 0.7443 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1282 रकबा 1.2054 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1283 रकबा 0.3236 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 779 रकबा 3.2522 हैक्टैयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 5.5255 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में राजमल पुत्र गजरा[illegible] पर राजेन्द्र कुमार पुत्र गजराज की खातेदारी काश्तकारी घो[illegible] की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में [illegible] दरामद करें। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों पत्रा[illegible] फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम बाला में खुले में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:58:09 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प बाला

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
राजेन्द्र कुमार पुत्र गजराज जाति महाजन निवासी बाला तहसील बिलाड़ा		01 भंवरलाल पुत्र गजराज जाति महाजन निवासी बाला तहसील बिलाड़ा 02 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 113/2021

निर्णय **दिनांक** :– 27.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 2 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 1226 रकबा 0.7443 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1282 रकबा 1.2054 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1283 रकबा 0.3236 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 779 रकबा 3.2522 हैक्टैयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 5.5255 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में राजमल पुत्र गजराज के स्थान पर राजेन्द्र कुमार पुत्र गजराज की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.10.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:58:09 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:58:09 IST
Reason: SelfAttested